10.2.25 - पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप[स्थित।]
बहस T.I. सुनी गई। प्रार्थीगण ने प्रा०प[त्र]
प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्रा[म]
कोडिया के ख० नं० 52 रकबा 2.40 हैक्टे[यर]
में प्रार्थी सं० 2 का 1/2 हिस्सा व ख० नं०
53 रकबा 0.32 है० में प्रार्थी सं० 1 का 1/[2]
हिस्सा खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण उक्त
भूमि के रजिस्टर्ड क्रेता है। उक्त खसरान [की]
भूमि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी [की]
भूमि है तथा प्रार्थीगण अपनी खरीदशुदा
भूमि काश्त काबिज है। भूमि संयुक्त खाते
में दर्ज होने से अप्रार्थीगण अपने हिस्से [से]
अधिक भूमि का बेचान कर प्रार्थीगण को
खातेदारी भूमि से बेदखल करने पर आमा[दा]
है। अगर अप्रार्थीगण इसमे सफल हो गये
तो प्रार्थीगण को भारी असुविधा व अपार
क्षति होगी। अतः अप्रार्थीगण को वादपत्र
के निर्णय तक इन्तीम अस्थाई निषेधाज्ञा
से पाबन्द किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया
एवं बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त
वादग्रस्त भूमि के रेकर्ड खातेदार होकर
इनका हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है।
जैसा प्रार्थीगण ने प्रा०पत्र मे स्वयं स्वीकार
किया है कि प्रार्थीगण उक्त भूमि के रजि०
क्रेता होकर स्ट्रेन्जर पर्चेजर (अजनबी क्रेता)
है तथा इनका हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज
है। प्रार्थीगण की तरह ही अप्रार्थीगण भी
उक्त भूमि के रेकर्ड खातेदार है जिनको
खातेदारी अधिकारो के भोग-उपभोग से वंचित
नही किया जा सकता है। जैसा कि प्रार्थीगण
ने स्वीकार किया है कि वे अपने हिस्से की

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहका
को इस हुक्म की तामी
में जारी हुए

भूमि पर काबिज है। अगर अप्रार्थीगण अपने हिस्से की खातेदारी भूमि का बेचान, हस्तान्तरण करते है तो प्रार्थीगण को हानि अथवा असुविधा नहीं होगी। उपर्युक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र u/s 212 RTAct स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम की जावे। आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
रियां बड़ी (नागौर)